



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 02.02.2025

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चकचटगन में दिनांक 18.01.2025 को बरामद व्यक्ति के शव की घटना का थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण। घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- ❖ अवैध सम्बन्धों के चलते महिला, उसके ससुर एवं उसके साथियों ने मिलकर दिनांक 15/16.01.2025 की रात्रि में की थी हत्या। मुख्य अभियुक्त फूलचन्द्र व कैलाश पर पूर्व से दर्ज है हत्या के मामलों।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में दिनांक 18.01.2025 को बरामद व्यक्ति के शव की घटना का थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 02.02.2025 को घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 15.01.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम चकचटगन की रहने वाली महिला जानकी पत्नी राजू निषाद ने थाना कोतवाली देहात पर अपने ससुर पुन्ना के गुम होने की सूचना दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी दौरान दिनांक 18.01.2025 को ग्राम चकचटगन में केन नदी के पास व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र ने दिनांक 22.01.2025 को थाना कोतवाली देहात में गांव के ही फूलचन्द्र व उसके साथियों के विरुद्ध तहरीर दी गई जिस पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 13/25 अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे इसी क्रम में आज दिनांक 02.02.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में 04 अभियुक्तों 1-फूलचन्द्र पुत्र महाबीर निषाद, 2- कैलाश निषाद पुत्र शिवराम निषाद, 3-सविता पत्नी सुशील निषाद, व 4-रानीबाई पत्नी बाबूराम उर्फ बाउवा निषाद निवासीगण चकचटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को ग्राम दरदा एक्सप्रेस वे चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मुख्य अभियुक्त फूलचन्द्र द्वारा बताया गया कि मृतक पुन्ना का उसके भतीजे सुशील की पत्नी सविता से अवैध सम्बन्ध था जिसके जानकारी मुझे होने पर उसने अपने साथी कैलाश, सविता व रानीबाई के साथ पुन्ना के हत्या की योजना बनाई और दिनांक 13.01.2025 को पार्टी के बहाने से बुलाया और मारपीट कर अधमरा कर उसके हाथ पैर बांधकर सरसो के खेत में फेक दिया था दो दिन तक पुन्ना खेत में ही पड़ा रहा जब पुन्ना की ज्यादा खोजबीन होने लगी तब चारों अभियुक्त दिनांक 15/16.01.2025 की रात्रि को खेत में जाकर देखा तो पुन्ना जिन्दा था तब पुनः वे लोग उसे पीट-पीटकर जान से मार डाले तथा शव को साइकिल पर रखकर को केन नदी के किनारे बालू में दफनाकर उसका मोबाइल फोन व सदरी जला दिया था। अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक के जले हुए मोबाइल फोन के अवशेष व घटना में शामिल साइकिल को बरामद किया गया है। बता दें कि मुख्य अभियुक्त फूलचन्द्र को वर्ष 2012 में अपनी पत्नी की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई है तथा वह वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर था एवं अभियुक्त कैलाश पर 2002 में हत्या व 2009 में गैंगस्टर एक्ट का मामला पहले से दर्ज है।

### **बरामदगी-**

1. मृतक का चप्पल
2. मृतक के जले हुए मोबाइल फोन के अवशेष
3. 01 साइकिल एटलस गोल्ड घटना में प्रयुक्त

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फूलचन्द्र पुत्र महाबीर निषाद निवासी चकचटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
2. कैलाश निषाद पुत्र शिवराम निषाद निवासी चकचटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा
3. सविता पत्नी सुशील निषाद निवासी चकचटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा
4. रानीबाई पत्नी बाबूराम उर्फ बाउवा निषाद निवासी चकचटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

### पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 13/25 धारा 103(1)/238(बी) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त फूलचन्द्र उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 72/98 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
2. मु0अ0स0 94/04 धारा 323/324/504 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
3. मु0अ0स0 136/12 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त कैलाश उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 71/91 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
2. मु0अ0स0 144/02 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
3. मु0अ0स0 59/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त सविता उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 17/25 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष कोत0 देहात श्री आनन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
3. कां0 दीपक अहिरवार
4. कां0 प्रवेश पटेल
5. म0कां0 रेनु देवी
6. म0कां0 आरती